राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष नं0:–0141–2740837,, फैक्सः– 0141–2742309, ई मेलः–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ.4(ई)(आर–543 / 2023) / अलेसे–III / 279 दिनांकः– 17/06/25

"कार्यालय आदेश"

नव चयनित कनिष्ठ लेखाकार के द्वारा वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं /संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में स्वयंपाठी/पत्राचार विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्रदान करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम कनि0 लेखाकार (श्री / श्रीमती / सुश्री)	पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है / परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1.	राजेश देवासी	एम.ए.हिन्दी साहित्य द्वितीय वर्ष (Improvement) 2024–25) एम.ए.हिन्दी साहित्य प्रथम वर्ष 2024–25	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	कोष कार्यालय, सिरोही

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुकि आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगीः–

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।

4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।

7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
सयुंक्त शासन सचिव
दिनांकः– 17/06/25

क्रमांकः–एफ.4(ई)(आर–543 / 2023) / अलेसे–III / 279

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. कोष कार्यालय, सिरोही।
2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II / III)

F:\UPASNA JI\ORDER.DOCX:- 5